न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 03 / 19
(आरसीएमएस संख्या 2019 / 00013)

निर्णय दिनांकः– 19–12–2019

1. लखविन्द्र देवी पत्नी जालमसिंह
2. कंचन पुत्री जालमसिंह
3. तरसेमलाल पुत्र जालमसिंह

   अवकाम चौधरी साकिन महाल रोड उप तहसील हरीपुरा तहसील देहरा जिला कांगड़ हिमाचल प्रदेश
4. मलकादेवी पत्नी महिन्दरसिंह
5. साहिल पुत्र महिन्दरसिंह
6. प्रवेश कुमारी पुत्री महिन्दरसिंह
7. मीना कुमार पुत्री महिन्दरसिंह
8. किरनदेवी पुत्री महिन्दरसिंह

   अवकाम चौधरी साकिन महाल रोड उप तहसील हरीपुरा तहसील देहरा जिला कांगड़ हिमाचल प्रदेश

   जरिये मु. आम तरसेमलाल पुत्र जालमसिंह जाति चौधरी निवासी महाल रोड उप तहसील हरीपुरा तहसील देहरा जिला कांगड़ हिमाचल प्रदेश

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार खाजुवाला।
2. फगनाराम पुत्र चूहड़ूराम जाति चौधरी निवासी चक 21 केवाईडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
3. प्यारेलाल पुत्र चुहड़ूराम जाति चौधरी निवासी महालरोड डिब्बी पा.आ. घंगोली उप तहसील हरीपुरा तहसील देहरा जिला कांगड़ हिमाचल प्रदेश।
4. रजत पुत्र महिन्दर सिंह जाति चौधरी निवासी महाल रोड उप तहसील हरीपुरा तहसील देहरा जिला कांगड़ हिमाचल प्रदेश

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 08–09–1973
उपायुक्त उपनिवेशन, पुर्नवास व्यास प्रोजेक्ट, बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री विजय पारिक, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री कृष्ण बेनीवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
3. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4
4. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपायुक्त उपनिवेशन, पुर्नवास व्यास प्रोजेक्ट, बीकानेर के आदेश दिनांक 08—09—1973 जिसके द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 21 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 99/49 की 25 बीघा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि चक 21 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 99/49 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स फगनराम, जालमसिंह, महेन्द्र सिंह व प्यारेलाल जोकि आपस में सगे भाई है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ सभी भाईयों ने अपने—अपने दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का आवंटन सभी भाईयों के नाम से जारी किया जाना चाहिए था। परन्तु चारों भाईयों में से बड़े भाई फगनराम द्वारा मिलीभगत करते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपने अकेले के नाम करवा लिया गया। जोकि स्पष्ट रूप से कपट पूर्वक करवाया गया था। उक्त स्थिति सामने आने पर दिनांक 21—01—1976 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 फगनाराम के पक्ष में किया गया आवंटन खारिज कर दिया गया। जोकि बिना किसी युक्तियुक्त कारण के पुनः 10—07—1985 को बहाल कर दिया गया। जो स्पष्ट रूप से अवैध कार्यवाही है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन चारों भाईयों के नाम से किया जाना चाहिए था। आवंटन फार्म संख्या 2ए पर चारों भाईयों के नाम व हस्ताक्षर अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेखों का अवलोकन किये बिना वादग्रस्त भूमि केवल मात्र फगनराम के नाम से आवंटित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है क्योंकि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में चारों भाईयों को आवंटन का पात्र माना गया था तथा तदनुसार आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र भी उक्त चारों भाईयों के नाम से सक्षम आवंटन अधिकारी द्वारा लिया गया था। इसके अतिरिक्त आवंटन की प्रकिया के तहत डिमाण्ड नोटिस, स्टेटमेंट भी चारों भाईयों के नाम से जारी किये गये, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों की अनदेखी करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट फगनराम को बेजा फायदा पहुॅचानें की नियत मात्र से वादग्रस्त भूमि का आवंटन फगनराम अकेले के नाम जारी किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट जालिमसिंह व महेन्द्रराम की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान बतौर पक्षकार पत्रावली में संयोजित है। प्रकरण में चूंकि पोंगबांध बनाते समय हिमाचल सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की भूमि को अवाप्त कर लिया गया था। ऐसीस्थिति में उसकी एवज में भी राजस्थान में कृषि भूमि आवंटन चारों भाईयों के नाम से आवंटन का पात्र धोषित किया गया, उसी के अनुरूप चारों भाईयों के नाम से आवंटन प्रार्थना पत्र लिया गया। लेकिन वादग्रस्त भूमि जोकि चारों भाईयों के नाम से आवंटित की जानी चाहिए थी, को अकेले फगनराम ने अपने नाम से आवंटित करवा ली गई। रेस्पोडेन्ट फगनराम अपने सगे भाईयों को यह आश्वासन देता रहा कि भूमि आवंटित करवा ली है। परन्तु उक्त भूमि पर शेष भाईयों को आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई हिस्सा व हक प्रदान नहीं किये जाने की स्थिति में शेष भाई व उनके वारिसान द्वारा वास्तविक स्थिति की जानकारी ली गई तो यह स्थिति सामने आई के उनके सगे भाई फगनराम द्वारा अपने अकेले के नाम से भूमि आवंटित करवा ली गई है तथा आपका इस भूमि से कोई सरोकार नहीं है। जिस पर अपीलांट्स द्वारा राजस्थान आकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया तथा नकलें आदि प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियांद पेश की जा रही है। जिसके साथ धार 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर वादग्रस्त भूमि का आवंटन फार्म 2ए के अनुसारण में सभी भाईयों के मध्य बराबर—बराबर किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1981 पेज 292, आरआरडी 1965 पेज 119, आरआरडी 1993 पेज 503, आरआरडी 1992 पेज 173, आरआरटी 2012 पार्ट I पेज 668, आरआरडी 1998 पेज 319 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर पेश की गई है। अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र पर मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे कारण 46 वर्ष के विलम्ब को कण्डोन करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

[redacted] अपील अधिकारी बीकानेर

गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि उत्तराधिकारिणी सम्पति नहीं है। वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम से किया गया था। तभी से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 वादग्रस्त भूमि पर पर काबिज काश्त है।

वादग्रस्त भूमि के बाबत् तमाम राशि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा जमा करवाई गई है तथा वादग्रस्त भूमि के बाबत् खातेदारी अधिकार भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 फगनराम को प्राप्त हो चुके है। इस प्रकार तमाम राजस्व रिकार्ड में फगनराम का नाम बतौर खातेदार अंकित हो चुका है। ऐसीस्थिति में अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। प्रकरण में दो अन्य भाई जालम सिंह व महेन्द्र सिंह की मृत्यु हो चुकी है। लिहाजा उनके वारिसान का वादग्रस्त भूमि से कोई लेना–देना नहीं है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि से फगनराम के अतिरिक्त तीनों भाईयों का कोई सरोकार नहीं रहा है, इस संबंध में जालम सिंह, महेन्द्र सिंह व प्यारचन्द ने कभी भी कोई प्रार्थना पत्र कृषि भूमि आवंटन हेतु पेश नहीं किया गया तथा उन्होनें कृषि भूमि आवंटन पर अपना अधिकार छोड़ दिया था। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 फगनराम का एकमात्र आवेदन होने पर तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु सक्षम पात्र धोषित करते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 फगनराम क अकेले के नाम किया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन के पश्चात् इतनी लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की धोषणा करवाने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील मियांद के बिन्दु के साथ–साथ गुणावगुण पर खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में मियांद के बिन्दु के स्थान पर गुणावगुंण पर निर्णय किया जाना युक्तियुक्त होगा क्योंकि एबईनिशियों वाईड आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। प्रकरण यदि अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत् प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, प्रस्तुत अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–09–1973 के विरूद्व दिनांक 28–12–2018 को पेश की गई है। प्रकरण में चूंकि मियांद के बिन्दु के अतिरिक्त गुणावगुण पर निर्णय किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1998 [illegible] जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:–

Limitation Act, 1963 Sec. 5 - Dismissal of appeal by lower court on ground of limitation without looking into merits of the case - Legality of - Held, now it must be taken as well settled principle of law that before rejecting

applications u/s 5, and dismissing appeals as time-barred, courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merit of appeals and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decided appeals on merits., मामलें पर मियांद के बिन्दु पर पूर्णतया चस्पा होती है। अतः उक्त नजीर के प्रकाश में अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

इस संबंध में दिनांक 23–08–2007 को Deputy Commissioner Resettlement and Rehabilitation विभाग द्वारा जारी आवंटन प्रमाणपत्र में भी अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स अर्थात चारों भाईयों के नाम से भूमि आवंटन होने की ताईदी की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त दिनांक तक वादग्रस्त भूमि चक 21 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 99/49 की 25 सभी भाईयों के नाम से आवंटित होने के तथ्य अन्य भाईयों अर्थात अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के समक्ष प्रस्तुत थे। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम से होने की कोई जानकारी तत्समय तक नहीं थी।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय एवं आवंटन अधिकारी के समक्ष वादग्रस्त भूमि चक 21 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 99/49 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु फगनराम, जालमसिंह, महेन्द्र सिंह व प्यारेलाल जोकि आपस में सगे भाई है, ने फार्म संख्या 2 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन अकेले फगनराम अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम से कर दिया गया। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से अपीलांट्स के इस तर्क भलीभांति साबित होते है कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु चारों भाईयों द्वारा एकल प्रार्थना पत्र फार्म संख्या 2 के तहत प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के आवंटन की इस्तदुआ आवंटन अधिकारी से की गई थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदन की जॉच करते हुए सभी भाईयों अर्थात फगनराम, जालमसिंह, महेन्द्र सिंह व प्यारेलाल के नाम से आवंटित की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा विधि विरूद्व तरीके से आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 फगनराम के नाम से किया जाना दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जब सभी भाईयों द्वारा बतौर पौंग बांध विस्थापित आराजी जैर के आवंटन हेतु आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तो ऐसी स्थिति में आवंटन अधिकारी द्वारा किसी एक भाई के नाम से तमाम भूमि आवंटन किये जाने का क्या औचित्य रहा है, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 साबित करने में असफल रहे है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर आवंटन की दिनांक से ही अन्य भाईयों के हक व हकूक निहित है लिहाजा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 फगनराम के अतिरिक्त भाईयों को उनके विधिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। प्रकरण में चाहे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि के अकेले खातेदारी अधिकार भी प्राप्त कर लिये गये हो, परन्तु जो आदेश प्रारम्भ से ही एबइनिशियों वाईड आदेश है, तथा उक्त आदेश के अनुसरण में यदि किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त भी कर लिये गये है, तो उक्त अधिकार स्वमेव शून्य प्राप्त अधिकारों की श्रेणी में आते है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपायुक्त उपनिवेशन पुर्नवास व्यास प्रोजेक्ट बीकानेर, दिनांक 08–09–1973 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि चक 21 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 99/49 की 25 बीघा भूमि फगनराम, प्यारेलाल व जालिम सिंह (फौत) व महेन्द्र (फौत) के वारिसान जोकि पत्रावली में बतौर अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज करने की कार्यवाही करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19–12–2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.27 15:17:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: